38

श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति
(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

श्रम और रोजगार मंत्रालय

श्रम और रोजगार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2022-23)' पर समिति के तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई

अड़तीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर, *2022/* अग्रहायण, 1944 *(*शक)

अड़तीसवां प्रतिवेदन

श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति
(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

श्रम और रोजगार मंत्रालय

श्रम और रोजगार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2022-23)' पर समिति के तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई

20.12.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

20.12.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर, *2022/* अग्रहायण, 1944 *(*शक)

विषय-सूची

समिति की संरचना

प्राक्कथन

अध्याय एक	प्रतिवेदन .....
अध्याय दो	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है .....
अध्याय तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती .....
अध्याय चार	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है .....
अध्याय पांच	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के है .....

परिशिष्ट

एक.*	समिति की 19.12.2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश।
दो.	इकतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण।

*इस साइकलोस्टाइल प्रति के साथ संलग्न नहीं।

श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

श्री भर्तृहरि महताब - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
3. कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
4. श्री पल्लब लोचन दास
5. श्री फिरोज वरुण गांधी
6. श्री सतीश कुमार गौतम
7. श्री बी.एन. बचेगौडा
8. डॉ. उमेश जी. जाधव
9. श्री धर्मेन्द्र कश्यप
10. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
11. श्री पकौड़ी लाल कोल
12. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक
13. श्री दयाकर पसुनूरी
14. श्री खलीलुर रहमान
15. श्री डी. रविकुमार
16. श्री नव कुमार सरनीया
17. श्री भोला सिंह
18. श्री गणेश सिंह
19. श्री नायब सिंह सैनी
20. श्री के. सुब्बारायण
21. श्री गिरिधारी यादव

राज्य सभा

22. श्री नरेश बंसल
23. श्री नीरज डांगी
24. श्री आर. धरमार
25. प्रो. मनोज कुमार झा
26. श्री इलामारम करीम
27. सुश्री दोला सेन
28. श्री एम. शनमुगम
29. श्री शिबू सोरेन
30. श्री विजय पाल सिंह तोमर
31. श्री बिनोय विस्वम

सचिवालय

1. श्री टी. जी. चन्द्रशेखर	-	अपर सचिव
2. श्री डी. आर. मोहंती	-	निदेशक
3. श्री संजय सेठी	-	अपर निदेशक

प्राक्कथन

मैं, श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति (2021-22) का सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उसकी ओर से श्रम और रोजगार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2022-23)' पर समिति के तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी यह अड़तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. अड़तीसवां प्रतिवदेन 15 मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने तीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर अपनी की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले उत्तर 29 जून, 2022 को प्रस्तुत किए। समिति ने 19 दिसंबर, 2022 को अपनी बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और स्वीकार किया।

3. तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण अनुबंध-दो पर दिया गया है।

4. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
19 दिसंबर, 2022
28 अग्रहायण, 1944 (शक)

भर्तृहरि महताब
सभापति
श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति

अध्याय - एक

प्रतिवेदन

यह प्रतिवेदन श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगो (2022-23)' **विषय पर समिति के तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।**

2. **तीसवां प्रतिवेदन** 15 **मार्च** ,2022 **को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया/राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। इसमें** 28 **टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं। सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार के उत्तर प्राप्त हो चुके हैं और इन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है**-:

(i)	**टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है**-: **सिफारिश पैरा सं. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 और 28**	**अध्याय दो** **कुल: 24** **प्रतिशत**: **85.72**
(ii)	**टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती है**-: **सिफारिश पैरा सं. 24**	**अध्याय तीन** **कुल: 01** **प्रतिशत**: **3.57**
(iii)	**टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है**-: **सिफारिश पैरा सं. 3 और 4**	**अध्याय चार** **कुल :02** **प्रतिशत: 7.14**
(iv)	**टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं**:- **सिफारिश पैरा सं. 15.**	**अध्याय पांच** **कुल :01** **प्रतिशत :3.57**

3. समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय- एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई टिप्पण और अध्याय- पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम की गई कार्रवाई उत्तर, जिसके लिए सरकार से अंतरिम उत्तर प्राप्त हो गए हैं, उसे यथाशीघ्र प्रस्तुत किए जाए।

4. अब समिति अपनी कुछ पूर्ववर्ती टिप्पणियों/सिफारिशों पर चर्चा करेगी जिन्हें दोहराए जाना अपेक्षित है या टिप्पणियां किया जाना जरूरी है।

एक. <u>समग्र वित्तीय निष्पादन</u>

<u>(सिफारिश पैरा सं. 1, 3 और 4)</u>

5. **अपने तीसवें प्रतिवेदन में समिति ने पाया था कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, जबकि 17.02.2022 को समग्र वास्तविक व्यय संशोधित अनुमान राशि का 82.92 प्रतिशत था, अधिकांश योजनाओं के लिए योजना-वार व्यय 60 प्रतिशत से 92.60 प्रतिशत था और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी), एनपीएस ट्रेडर्स, एनडीयूडब्ल्यू, लेबर वेलफेयर स्कीम्स पर खर्च 12.63 फीसदी से 29.84 फीसदी के बीच रहा।। समिति मंत्रालय को उन योजनाओं के लिए सुझाव देती है कि वे अपने व्यय पद्धति को बढाए जहां उपयोग की प्रतिशतता लक्ष्य के अनुरूप नहीं है ताकि 31 मार्च, 2022 तक वर्ष 2021-22 के बजटीय आवंटन का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। समिति इस विषय पर चिंतित है कि वित्त वर्ष 2022-23 के 18,714 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के मंत्रालय के प्रस्ताव के विरुद्ध, वित्त मंत्रालय ने केवल 16,893.68 करोड़ रुपये आवंटित किए। समिति इस तर्क से सहमत नहीं है कि वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों की समग्र मांगों को ध्यान में रखते हुए बजटीय आवंटन में कमी की है और यह देखते हुए कि किसी विशेष वित्त वर्ष में निर्धारित की गई निधियों के उपयोग का निष्पादन अगले वर्ष के बजटीय आवंटन पर अधिकांश रूप से निर्धारित करता है**

समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालय की ओर से यह अनिवार्य हो जाता है कि वे निधियों की वार्षिक उपयोगिता में उनके निष्पादन क्षमता को बढ़ाए ताकि वित्त मंत्रालय से प्रस्तावित/ प्रयोजित राशि की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। समिति यह आशा करती है कि प्रभागों/ब्यूरो शीर्षों को जारी किए गए निर्देशों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित कर निगरानी तंत्र को और अधिक सशक्त किया जाना चाहिए ताकि वार्षिक वित्तीय विवेक को सुनिश्चित किया जा सके।

6. समिति को प्रस्तुत अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया है:

"वित्त वर्ष 2021-22 में मंत्रालय को 13306.50 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी। मंत्रालय के बजट को संशोधित अनुमान स्तर पर 14248.72 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसके अलावा ईपीएस 95 के अंतर्गत बकायों के भुगतान के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के तीसरे बैच के माध्यम से नकद अनुपूरक मांग के रूप में 10260.62 करोड़ की राशि मांगी गई थी। अतएव, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल आबंटन 24518.47 करोड़ रुपये था। मंत्रालय ने 24036.25 करोड़ रुपये का व्यय किया है, जो वर्ष 2021-22 के दौरान मंत्रालय के कुल आबंटन का 98% है। एनसीएलपी, एनपीएस ट्रेडर्स, एनडीयूडब्ल्यू और श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के दौरान संशोधित अनुमान (आरई) स्तर में आबंटित निधि और अंतिम व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

योजना का नाम	आरई स्तर पर आबंटित निधि	व्यय की गई राशि (करोड़ रुपये में)	आरई की तुलना में व्यय का प्रतिशत
राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना	20.00	18.45	92.25
व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों (एनपीएस-ट्रेडर्स) के	1.00	0.24	24%

लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना			
असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू)	280.00	255.24	91.15
श्रम कल्याण योजनाएं	119	64.10	53.86

<u>कम व्यय के कारण</u>

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे केवल दिनांक 31.03.2021 तक अनुमोदित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान के साथ योजना को समाहित/ विलयित करने और दिनांक 31.03.2021 से आगे योजना के अनुमोदित न करने के निर्णय के साथ, जहां बजट अनुमान स्तर पर 110 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, देनदारियों को पूरा करने के लिए इसे घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया गया था। 20 करोड़ रुपये की तुलना मेंवर्ष 2021-2022 के दौरान 18.45 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है,जो आबंटन का 92.25% है।

व्यापारियों, दुकानदारों और स्व-नियोजित व्यक्तियों (एनपीएस ट्रेडर्स) के लिए राष्ट्रीय पेंशन स्कीम छोटे व्यापारियों/ स्व-नियोजित व्यक्तियों को 3000/- रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने के लिए है। यह योजना कोविड 19 महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थी। इसके अलावा,अन्य प्रचालनात्मक कारण भी थे जिनसे एनपीएस-ट्रेडर्स स्कीम के तहत नामांकन अभियान प्रभावित हुआ । यह देखा गया है कि इस योजना की समग्र मांग बहुत कम है क्योंकि लक्षित समूहों अर्थात छोटे दुकानदारों/ व्यापारियों की लामबंदी राज्य सरकारों द्वारा बहुत प्रभावी ढंग से नहीं की गई है। तथापि, सरकार इस योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में कई कदम उठाए गए हैं, जैसे- वर्ष 2019-20 के दौरान सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को 5.86 करोड़ रुपये का अनुदान,सोशल मीडिया अभियान का शुभारंभ आदि और यह आशा की जाती है कि आने वाले वर्षों में एनपीएस ट्रेडर्स स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों

के तंत्रों के समन्वय से नामांकन में वृद्धि हो सकती है ताकि निधि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

श्रम कल्याण योजनाएं:-

(क) **श्रम कल्याण योजना को** 2021-22 **के बाद भी जारी रखने की स्वीकृति में देरी के कारण**

(ख) **कोविड महामारी के कारण**, **कामगार अपने घरों के निर्माण के मामले में पर्याप्त प्रगति नहीं कर सके और आरआईएचएस के अंतर्गत दूसरी/ तीसरी किस्त का दावा नहीं कर सके**"।

7. **श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा है कि पाक्षिक आधार पर व्यय की समीक्षा करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं।**

8. समिति नोट करती है कि मंत्रालय ने 2021-22 के दौरान 24,518.47 करोड़ रुपये के कुल आवंटन में से 24,036.25 करोड़ रुपये का व्यय किया है, जो वर्ष के दौरान कुल आवंटन का 98 प्रतिशत है। हालांकि, कुछ योजनाओं में वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी आई है, जो कथित तौर पर कोविड-19 महामारी के प्रकोप और उसके बाद के लॉकडाउन, 2021-22 के बाद भी श्रम कल्याण योजनाओं को जारी रखने के लिए देरी से स्वीकृति, आदि के कारण है। इसलिए, समिति चाहती है कि निधियों के योजना-वार उपयोग में सुधार लाने के लिए और अधिक ठोस प्रयास किए जाएं और निगरानी तंत्र को और सुदृढ़ किया जाए ताकि इसे समग्र वित्तीय निष्पादन के समान लाया जा सके जो बदले में वित्त मंत्रालय से निधियों के अपेक्षित आवंटन को सुनिश्चित करेगा।

दो. <u>आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई)</u>

(सिफारिश पैरा सं. 9)

9. **अपने पिछले प्रतिवेदन में, समिति ने नोट किया है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2022 तक 71.80 लाख लाभार्थियों के अनुमानित लक्ष्य में से, दिनांक 6 फरवरी 2022 की स्थिति के अनुसार 1,29,672 प्रतिष्ठानों के 48.95 लाख कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं। यह ध्यान में रखते हुए कि कई नियोक्ता/कर्मचारी जागरूकता की कमी के और जटिलताओं के कारण लाभों से वंचित थे, समिति ने यह सिफारिश की थी कि मंत्रालय को तत्काल तथा प्राथमिकता के आधार पर मामलों को विशेषतः जागरूकता कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने की दिशा में ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिससे एबीआरवाई के अंतर्गत नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों को लाभान्वित करने का उद्देश्य वास्तव में प्राप्त किया जा सके।**

10. **समिति को प्रस्तुत अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया है:**

> **"योजना का लाभ उठाने हेतु पंजीकरण की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 थी। दिनांक 16.04.2022 की स्थिति के अनुसार,1.46 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 58.44 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जा चुका है और पंजीकरण की कुल संख्या 75.11 लाख हैं।"**

11. समिति मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों जिसके परिणामस्वरूप आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) स्कीम के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि अर्थात 31.03.2022 तक 71.80 लाख लाभार्थियों के लक्ष्य की तुलना में 75.11 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण किए जाने की सराहना करती है। हालांकि, समिति ने पाया कि 16.04.2022 तक, 75.11 लाख पंजीकृत लाभार्थियों में से, 58.44 लाख लाभार्थियों को 1.46 लाख स्थापनाओं के माध्यम से लाभ मिला है और शेष 16.67 लाख कर्मचारियों

को अभी भी लाभान्वित किया जाना बाकी है। चूंकि 31.03.2022 तक पंजीकृत सभी लाभार्थियों को योजना के तहत इच्छित लाभ प्रदान किए जाने हैं, इसलिए समिति मंत्रालय से एक निश्चित समय सीमा में अधिक स्थापनाओं के माध्यम से शेष लाभार्थियों को कवर करने का आग्रह करती है।

तीन. <u>असंगठित कामगारों के लिए बीमा योजना</u>

<u>(सिफारिश पैरा सं.14)</u>

12. **अपने पिछले प्रतिवेदन में, समिति ने नोट किया कि आम आदमी बीमा योजना जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में थी, को 01.04.2020 से प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के साथ समामेलित कर दिया गया था और वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाओं का विभाग) को स्थानांतरित कर दिया गया था। यह देखते हुए कि असंगठित कामगारों का कल्याण मुख्य रूप से श्रम और रोजगार मंत्रालय की जिम्मेदारी है और उस दिशा में मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों और उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए, समिति ने सिफारिश की थी कि मंत्रालय को असंगठित कार्यबल को बीमा कवर प्रदान करने के लिए और अधिक कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने पर विचार करना चाहिए और सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा प्रशासित विभिन्न योजनाओं के विशिष्ट लाभों के बारे में असंगठित श्रमिकों को जागरूक करने के लिए अन्य संबंधित मंत्रालयों के समन्वय से पर्याप्त जागरूकता/प्रचार अभियान शुरू किया जाए ताकि ऐसे कामगारों के अधिक पंजीकरण को प्रोत्साहित किया जा सके।**

13. **समिति को प्रस्तुत अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया है**:

"सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 असंगठित क्षेत्र के कामगारों को जीवन और अपंगता कवर, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं बनाकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का जनादेश देता है। जीवन और अपंगता कवर प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

इन योजनाओं के अंतर्गत, किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2,00,000 रुपए और दुर्घटना या स्थायी पूर्ण अपंगता के कारण मृत्यु पर 2,00,000 रुपए और स्थायी आंशिक अपंगता पर 1,00,000 रुपए लाभ के क्रमशः 436 रु. और 20 रु. के वार्षिक प्रीमियम पर उपलब्ध है। ये योजनाएं असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए भी उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने सभी असंगठित कामगारों (यूडब्ल्यू) को आधार के साथ जोड़ने हेतु असंगठित कामगारों (यूडब्ल्यू) का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल भी आरंभ किया है, जिसमें सन्निर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, गिग और प्लेटफॉर्म कामगार, फेरी वाले, घरेलू कामगार, कृषि कामगार आदि शामिल हैं। इस पोर्टल के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की क्रियान्वयन दक्षता को मजबूत किया जाएगा।"

14. असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की सरकार की वचनबद्धता को नोट करते हुए, समिति चाहती है कि ई-श्रम पोर्टल के अंतर्गत असंगठित कामगारों के लिए सृजित राष्ट्रीय डाटाबेस को शीघ्र आधार से जोड़ा जाए ताकि पोर्टल के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की कार्यान्वयन दक्षता को सुदृढ़ किया जा सके

और साथ ही सभी प्रकार के असंगठित कामगारों के लिए और अधिक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जा सकें।

चार. <u>बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास</u>

<u>(सिफारिश पैरा सं.18, 19, 20 और 21)</u>

15. **बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्रक योजना** - 2016 **के संदर्भ में, समिति ने अपनी पिछले प्रतिवेदन में मंत्रालय से बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए** 2.34 **करोड़ रुपये जारी करने के लिए बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और उत्तर प्रदेश की छह राज्य सरकारों के प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई के लिए कहा था ताकि वित्त वर्ष** 2021-22 **के अंतिम माह तक राशि का उपयोग किया जा सके। समिति ने मंत्रालय को संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर अग्रिम कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान में निर्धारित 10 करोड़ रु. की राशि का इष्टतम उपयोग निश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, यह देखते हुए कि कॉर्पस निधि के जिला-वार उपयोग के संबंध में केंद्र में कोई विवरण नहीं रखे जाते, क्षेत्राधिकार के पहलुओं को नजरंदाज करते हुए, समिति मंत्रालय पर, संबंधित राज्य सरकारों से सूचना समानुक्रमित करने तथा जब जब आवश्यकता पड़े उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए एक केन्द्रीय डेटाबेस बनाने के लिए जोर देती है। समिति यह जान कर बहुत चिंतित हैं कि वर्ष 2020-21 में 7 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिल नाडु और उत्तर प्रदेश से 1330 बंधुआ मजदूरों को छुड़ाया गया था इनमें अधिकतम 1014 (76%) घटना तमिलनाडु से रिपोर्ट किये गए, समिति की यह विचारणीय राय है कि निगरानी तथा समन्वय तंत्र को बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के उल्लंघनकर्ताओं के अभियोजन के लिए दृढ़ बनाया जाए तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा त्वरित मुकदमा समय-बद्ध प्रकार से फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना करने तथा उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने से अधिनियम का प्रभावशाली कार्यान्वयन बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाने तथा उत्सादन में सहायक सिद्ध होगा। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा बंधुआ**

मजदूरों हेतु राष्ट्रीय पोर्टल के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों को ध्यान में रखते हुए, समिति यह इच्छा करती है कि पोर्टल की स्थापना की प्रक्रिया में तीव्रता एक उचित समय सीमा के भीतर की जाए ताकि उपयुक्त और समय-बद्ध कार्रवाई द्वारा अपेक्षित जानकारी सही समय पर उपलब्ध हो सके।

16. **समिति को प्रस्तुत अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया है**:

> **"समिति की टिप्पणियां और सिफारिशें नोट कर ली गई हैं। यह बताया गया है कि बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की योजना एक मांग-संचालित योजना है तथा राज्य/संघराज्य-क्षेत्र की सरकार से पूर्ण प्रस्ताव मिलने पर राज्य/संघराज्य-क्षेत्र की सरकार को निधि उपलब्ध कराई जाती है/प्रतिपूर्ति की जाती है।**
>
> **समिति द्वारा दी गई सलाह के अनुसार , अब श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कायिक निधि के जिले-वार उपयोग का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। इस संबंध में की गई प्रगति की स्थिति निम्नानुसार है**:

संवितरित राशि का जिलेवार ब्यौरा					
वित्तीय वर्ष	**राज्य**	**जिला(ले)**	**छुडाए गए श्रमिकों की संख्या**	**तत्काल सहायता की राशि (रुपये में)**	**छुडाए गए श्रमिकों को संबंधित राज्य की कायिक निधि से उपलब्ध कराई गई राशि (रुपये में)**

2021-22	छत्तीसगढ़	जांजगीर-चंपा	50	20000	1,000,000
2021-22	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	120	20000	2,400,000
2021-22	छत्तीसगढ़	बस्तर	17	20000	340,000
2021-22	छत्तीसगढ़	मुंगेलिक	5	20000	100,000
2021-22	छत्तीसगढ़	गैरबंद	50	20000	1,000,000
2021-22	छत्तीसगढ़	बलौदाबाजार	6	20000	120,000
2021-22	छत्तीसगढ़	धमतरी	2	20000	40,000
	छत्तीसगढ़ (कुल)		**250**		**5,000,000**
2021-22	तमिलनाडु	इरोद	97	20000	1,940,000
2021-22	तमिलनाडु	तिरुवन्नामलिया	53	20000	1,060,000

2021-22	तमिलनाडु	कांचीपुरम	135	20000	2,700,000
2021-22	तमिलनाडु	सेलम	31	20000	620,000
2021-22	तमिलनाडु	तंजावूर	55	20000	1,100,000
2021-22	तमिलनाडु	पुदुक्कोट्टई	40	20000	800,000
2021-22	तमिलनाडु	वेल्लोर	105	20000	2,100,000
2021-22	तमिलनाडु	तेनी	1	20000	20,000
2021-22	तमिलनाडु	नमक्कली	42	20000	840,000
2021-22	तमिलनाडु	कृष्णागिरी	10	20000	200,000
2021-22	तमिलनाडु	धरमपुरी	2	20000	40,000

2021-22	तमिलनाडु	तिरुवल्लुर	210	20000	4,200,000
2021-22	तमिलनाडु	शिवगंगाई	2	20000	40,000
2021-22	तमिलनाडु	रामंतपुरम	2	20000	40,000
2021-22	तमिलनाडु	कोयंबतूर	2	20000	40,000
2021-22	तमिलनाडु	कुड्डालोर	48	20000	960,000
2021-22	तमिलनाडु	मदुरै	2	20000	40,000
2021-22	तमिलनाडु	डिंगीगुल	5	20000	100,000
2021-22	तमिलनाडु	थिरुवरुर	22	20000	440,000
2021-22	तमिलनाडु	त्रिची	10	20000	200,000

2021-22	**तमिलनाडु**	**तिरुपूर**	4	20000	80,000
2021-22	**तमिलनाडु**	**विल्लुपुरम**	12	20000	240,000
2021-22	**तमिलनाडु**	**चेन्नई**	85	20000	1,700,000
2021-22	**तमिलनाडु**	**करूर**	17	20000	340,000
2021-22	**तमिलनाडु**	**पेरम्बलूर**	10	20000	200,000
2021-22	**तमिलनाडु**	**तिरुनेलवेली**	14	20000	280,000
	तमिलनाडु (कुल)		**1016**		**20,320,000**
2021-22	**बिहार**	**गया**	147	20000	2,940,000
2021-22	**बिहार**	**नवादा**	97	20000	1,940,000
2021-22	**बिहार**	**खगडिया**	1	20000	20,000

2021-22	बिहार	पूर्णिया	4	20000	80,000
2021-22	बिहार	सुपौल	4	20000	80,000
2021-22	बिहार	कटिहार	27	20000	540,000
2021-22	बिहार	रोहतास	1	20000	20,000
2021-22	बिहार	पूर्वीचंपारण	4	20000	80,000
2021-22	बिहार	मुजफ्फरपुर	5	20000	100,000
	बिहार (कुल)		**290**		**5,800,000**
2021-22	राजस्थान	श्रीगंगानगर	50	20000	1,000,000
	राजस्थान (कुल)		**50**		**1000000**

	वर्ष 2021-22 के दौरान जारी की गई कुल सहायता	**1,606**		**32,120,000**

यह उल्लेख किया जाता है कि केंद्र सरकार के साथ समन्वय करने के लिए राज्य/जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति सहित एक समन्वय तंत्र शुरू करने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है। फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्चन्यायालयों के परामर्श से विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालयों कीस्थापना की व्यवहार्यता पर सभी राज्यों/संघराज्य-क्षेत्रों से टिप्पणियां प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया है"।

17. समिति यह जानकर प्रसन्न है कि उनकी सिफारिशों के अनुसरण में, मंत्रालय ने मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को संबंधित राज्य की कायिक निधि से प्रदान की गई राशि का जिला-वार ब्यौरा रखना शुरू कर दिया है। तथापि, 2021-22 के दौरान केवल चार राज्यों अर्थात छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, बिहार और राजस्थान के संबंध में वितरित राशि का ब्यौरा प्रदान किया गया है, हालांकि, जैसा कि समिति ने अपने पिछले प्रतिवेदन में बताया था, 2020-21 और 2021-22 में छह अन्य राज्यों अर्थात पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश से भी बंधुआ मजदूरों को बचाया गया था। इसलिए, समिति मंत्रालय से उन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में जिला-वार आंकड़े एकत्रित करने और उनका रख-रखाव करने का आह्वान करती है जहां से बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

18. समिति नोट करती है कि केन्द्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य/जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति सहित एक समन्वय तंत्र शुरू करने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है। मंत्रालय ने उच्च न्यायालयों के परामर्श से विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की व्यवहार्यता पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से टिप्पणियां प्राप्त करने का भी प्रस्ताव किया है। समिति का सुविचारित मत है कि ये उपाए समुचित हैं और इन्हें निरंतर जारी रखा जाना चाहिए जिससे केन्द्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच बेहतर समन्वय होगा, त्वरित सुनवाई होगी और बंधुआ मजदूरी की सामाजिक बुराई को समाप्त करने सहित दण्ड लगाने में मदद मिलेगी। समिति आगे इस बात पर बल देती है कि मंत्रालय प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक आवश्यकताओं को शीघ्रता से पूरा करे ताकि बंधुआ मजदूरी संबंधी राष्ट्रीय पोर्टल जल्द से जल्द विकसित किया जा सके।

पांच. <u>असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) परियोजना/कामगार हेतु पोर्टल</u>

<u>(सिफारिश पैरा सं. 22 और 23)</u>

19. **अपने पिछले प्रतिवेदन में समिति ने पाया कि दिनांक** 16.02.2022 **की स्थिति के अनुसार अनुमानित 38 करोड़ असंगठित कामगारों में से 25 करोड़ से अधिक कामगारों को पंजीकृत किया गया है और शेष 13 करोड़ कामगारों को मार्च, 2023 तक पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। समिति की इच्छा है कि पंजीकरण की गति में तेजी लाने और इस कार्य को अच्छी तरह से पूरा करने के लिए अन्य मंत्रालयों द्वारा प्रशासित ऐसी ही अनेक योजनाओं के अंतर-संचालन, मानकीकरण और अभिसरण के अलावा लक्षित लाभार्थियों के लिए अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं विशेष रूप से प्रवासी कामगारों को**

लाभ की सुवाह्यता सुनिश्चित करने के अलावा सुदृढ़ उपायों के माध्यम से समग्र ऐसे प्रयास किए जाएं ताकि निर्धारित समय-सीमा के भीतर और प्रभावी ढंग से लाभ प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। समिति यह आशा करती है कि प्रवासी कामगारों से संबंधित अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एमडब्ल्यूएस) अगस्त, 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। यह देखते हुए कि ई-श्रम, उद्यम, आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मेपिंग (एएसईईएम) और राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है ताकि ये पोर्टल एक अंतर-संचालनीय़ (इंटरऑपरेबल) तरीके अर्थात सूचना का अंतरण करने की क्षमता और अन्य प्रणालियों की कार्यक्षमता को प्रभावित किए बिना सूचना का उपयोग कर सके, समिति ने इच्छा व्यक्त की थी कि सभी हितधारकों के परामर्श से समन्वित प्रयास किए जाएं ताकि समयबद्ध तरीके से पोर्टलों को सुचारू और निर्बाध रूप से आपस में जोड़ना सुनिश्चित किया जा सके।

20. **समिति को प्रस्तुत अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया है**:

> **"श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अनुमानित सभी 38 करोड असंगठित कामगारों को पंजीकृत करने के उद्देश्य से दिनांक 26 अगस्त, 2022 को ई-श्रम पोर्टल आरंभ किया। 9 जून, 2022 की स्थिति के अनुसार पोर्टल पर 27.8 करोड (72.46%) से अधिक पंजीकरण हुए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, आवंटित बजट (संशोधित अनुमान चरण में 280 करोड रुपये) में से, ई-श्रम/एनडीयूडब्ल्यू परियोजना के संबंध में 90% से अधिक आवंटित राशि खर्च की गई है। शेष पंजीकरण को पूरा करने के लिए, यह मंत्रालय कम से कम समय में पंजीकरण पूरा करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। हाल ही में, पंजीकरण की संख्या को बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने निम्नलिखित प्रयास किए हैः**
>
> - **मंत्रालय ने 7 मार्च, 2022 से 13 मार्च, 2022 के दौरान विशिष्ट सप्ताह**

का आयोजन किया, जिसमें सभी राज्यों को आमंत्रित किया गया और ई-श्रम उपलब्धियों का उल्लेख किया गया। अन्य राज्यों को भी प्रेरित करने के साथ -साथ पंजीकरण बढ़ाने के लिए के लिए अग्रणी राज्यों को पुरस्कार वितरित किए गए। इस अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में पंजीकरण बढ़ाने के लिए विभिन्न शिविरों का भी आयोजन किया गया।

- **राज्यों के परामर्शो से, राज्य सेवा केंद्रों (एसएसके) की सेवाएं शुरू की गई जहां सामान्य सेवा केंद्रों की पहुंच प्रमुखता से नहीं है।**

- **पंजीकरण बढ़ाने के लिए, सीएससी के सहयोग से कई स्थानों पर विभिन्न शिविरों का आयोजन किया गया।**

- **यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग ऐप) पर ई-श्रम शुरू किया गया, ताकि लक्षित कामगारों के बीच पहुंच बढ़ाई जा सके और उनके मोबाइल पर सुविधा के अनुसार पंजीकरण/अद्यतन करने की सुविधा प्रदान की जा सके।**

- **8.5 करोड से अधिक पंजीकृत असंगठित कामगारों को एसएमएस भेजे गए, जिसमें उन्हें पोर्टल पर जाने और पंजीकरण के बाद से यदि कोई बदलाव हुआ, तो उन्हें अपना विवरण अपडेट करने के लिए कहा गया।**

- **श्रम और रोजगार मंत्रालय और ईपीएफओ, ईएसआईसी सहित इसके संगठनों द्वारा संचालित विभिन्न वेबसाइटों पर ई-श्रम बैनर लगाए गए।**

- **डीजीएलडब्ल्यू की सोशल मीडिया टीम द्वारा ट्विटर, फेसबुक आदि सहित विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल पर सोशल मीडिया अभियान चलाया जा रहा है, जहां नियमित रूप से ई-श्रम से संबंधित जानकारी**

पोस्ट की जा रही है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के दो पोर्टलों अर्थात एनसीएस और ई-श्रम का एकीकरण किया गया है और यह अब लाईव है। शेष एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के उद्देश्य से, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा समन्वय किया जा रहा है। इस परियोजन के लिए अपर सचिव, एमएसएमई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।"

21. समिति नोट करती है कि 09.06.2022 तक, अनुमानित 38 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में से 27.8 करोड़ (72.46 प्रतिशत) से अधिक श्रमिकों को पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। समिति इस बात की सराहना करती है कि पंजीकरण की संख्या बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों ने वांछित परिणाम देना शुरू कर दिए हैं और मंत्रालय को अन्य नवाचारी उपायों का सहारा लेने के अलावा पहले से शुरू किए गए उपायों को तेज करने की सिफारिश करती है ताकि असंगठित क्षेत्र के शेष श्रमिकों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर पोर्टल पर पंजीकृत किया जा सके।

22. समिति नोट करती है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के दो पोर्टल यानी नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) और ई-श्रम को एकीकृत कर दिया गया है और अब ये सक्रिय हैं। शेष एकीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के अपर सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) इस प्रक्रिया का समन्वय कर रहा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के ई-श्रम और एनसीएस पोर्टलों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के उद्यम पोर्टल और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लोयी एम्प्लोयर मैपिंग (असीम) पोर्टल को आपस में जोड़ने से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाओं की अंतःक्रियाशीलता, मानकीकरण और अभिसरण को मान्यता दिलाने में काफी मदद मिलेगी। समिति श्रम और रोजगार मंत्रालय को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के साथ प्रभावी ढंग से समन्वय करने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि एकीकरण प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा सके।

छह. <u>कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी)</u>

<u>(सिफारिश पैरा सं. 26 और 27)</u>

23. **वर्ष** 2020-21 **के दौरान** 4459.67 **करोड़ रुपये** (**वसूली योग्य** - 2296.17 **करोड़ रुपये और गैर-वसूली योग्य** 2163.50 **करोड़ रुपये**) **की बड़ी बकाया राशि पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए समिति ने अपने पिछले प्रतिवेदन में महसूस किया था कि बकाया राशि की वसूली के लिए ईएसआईसी द्वारा उठाए गए कदमों से वांछित परिणाम नहीं मिले हैं और उल्लंघन को रोकने के लिए अपर्याप्त प्रतीत होते हैं। समिति इसलिए, ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए समिति वसूली को प्रभावित करने के लिए निरीक्षण और निगरानी तंत्र को और मजबूत करने हेतु मंत्रालय को निर्देश दिए और इस तरह के उल्लंघन करने के नतीजों के प्रति नियोक्ताओं को भी संवेदनशील बनाती है ताकि ऐसी खतरनाक प्रवृत्ति को रोका जा सके। समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि मंत्रालय/ईएसआईसी इस बात की जांच करे कि क्या प्रयोग में लायी गई परिभाषा यानी 'वसूली योग्य देय ' और 'गैर-वसूली योग्य देय' प्रासंगिक रूप से उचित हैं।**

24. **समिति ने यह भी नोट किया था कि ईएसआई निगम ने ईएसआईसी द्वारा राज्य संचालित ईएसआईएस अस्पताल तिनसुकिया, असम को अपने अधिकार में लेने की मंजूरी दे दी है और नागपुर, औरंगाबाद, भोपाल, नागदा और कोटा के राज्य संचालित ईएसआई अस्पतालों को ईएसआईसी को सौंपने के संबंध में महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों की टिप्पणी मांगी गई है, हालांकि, उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षित है। समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि ईएसआईसी उचित स्तर पर राज्य सरकारों के साथ मामले को सख्ती से आगे बढ़ाए और मामले को तार्किक परिणाम तक ले जाए। इसके अलावा, चूंकि ईएसआईसी को किसी भी अन्य राज्य सरकारों से**

खराब प्रदर्शन करने वाले ईएसआईसी अस्पतालों को ईएसआईसी को सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है, इसलिए समिति चाहती है कि ईएसआईसी संबंधित राज्य सरकारों के साथ समन्वय करते हुए ऐसे अस्पतालों के खराब प्रदर्शन के मामले की स्वत: जांच करें ताकि उचित कार्रवाई की जा सके।

25. **समिति को प्रस्तुत अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया है**:

"समिति ने बकाया राशि की अत्यधिक मात्रा के संबंध में गहरी चिंता व्यक्त की है। क.रा.बी. निगम चूककर्ता नियोक्ताओं से ईएसआई बकायों की वसूली के लिए गंभीर प्रयास करता है। क.रा.बी. निगम द्वारा ईएसआई बकायों की वसूली के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं: -

1. **बकाया राशि की वसूली के लिए प्रत्येक वर्ष वसूली लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।**
2. **प्रत्येक क्षेत्र की मासिक निष्पादन रिपोर्ट की बारीकी से जांच की जाती है और संबंधित क्षेत्रों को समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं।**
3. **निगम के अधिकतम बकायों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए हर साल 1 दिसंबर से 31 मार्च तक विशेष अभियान चलाया जाता है।**
4. **क.रा.बी. निगम के क्षेत्रीय निदेशकों/संयुक्त निदेशकों (प्रभारी) को सलाह दी जाती है कि जब भी आवश्यक हो, वसूली प्रकोष्ठ में अतिरिक्त कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति करें।**
5. **प्रेरक उपायों के माध्यम से ईएसआई बकायों की वसूली के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जाते हैं, जिसके विफल होने पर चूककर्ताओं के बैंक खातों को जब्त करना, गार्निशी कार्यवाही का सहारा लेना, चल/अचल संपत्तियों की कुर्की, चूककर्ताओं की गिरफ्तारी न्यायानुसार की जाती है।**
6. **वसूली कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है और ईएसआई बकाया राशि की अधिकतम राशि की वसूली के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि कोविड-19 महामारी के कारण,लॉकडाउन,क्षेत्रों को बंद करने और कन्टेनमेंट जोन**

प्रतिबंध लगाए गए, जिससे वर्ष 2020-21 में वसूली की कार्यवाही की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई।

क. विगत तीन वर्षों में चूककर्ता नियोक्ताओं के विरुद्ध की गई वसूली कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है।

क्र. सं.	वर्ष	बैंक अटैचमेंट हेतु जारी नोटिस की कुल संख्या	वास्तव में जुड़े हुए बैंक खाते की कुल संख्या	संलग्न संपत्तियों की संख्या	जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट की संख्या (सीपी-26)	वास्तविक गिरफ्तारी के मामलों की संख्या
1	2018-19	14156	12202	216	245	0
2	2019-20	17000	14000	165	468	0
3	2020-21	13052	10845	62	326	4

ख. पिछले तीन वर्षों में नियोक्ताओं से वसूली के लक्ष्य और की गई वसूली का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	वसूली लक्ष्य (करोड़ रुपये में)	की गई वसूली (करोड़ रुपये में)
2018-2019	563.26	433.80
2019-2020	643.05	454.90
2020-2021	563.07	305.81

II. 'वसूली योग्य देय ' और 'गैर-वसूली योग्य देय' शब्दों का उपयोग-

इस मुद्दे की ईएसआई निगम द्वारा जांच की गई है और सक्षम प्राधिकारी ने मंजूरी दी है कि ईएसआईसी को "वसूली योग्य बकाया/देय " के बजाय "तत्काल वसूली योग्य देय " और "गैर-वसूली योग्य देय " के बजाय "तत्काल न वसूलने योग्य देय" शब्द का उपयोग करना चाहिए

ताकि ईएसआई बकाया के संबंध में स्पष्टता हो। तदनुसार, इस संबंध में दिनांक 14/03/2022 **के परिपत्र संख्या पी-**11/12/**विविध**/2020 **वीआईपी रेव** II **(अनुबंध) के माध्यम से आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।**

III. **ईएसआई बकाया की वसूली के लिए अतिरिक्त उपाय**:

ईएसआई निगम ने ईएसआई बकाया की वसूली के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय आंरभ किए हैं: -

- **चूककर्ता नियोक्ताओं/इकाइयों के खिलाफ समय पर राजस्व/वसूली कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए आरओ/एसआरओ में पर्याप्त कर्मचारियों और अधिकारियों की तैनाती।**
- **क्षेत्रीय कार्यालयों/उप क्षेत्रीय कार्यालयों की दक्षता और उत्पादकता में सुधार के लिए रिकवरी मशीनरी को बेहतर संभार तंत्र और ढांचागत समर्थन।**
- **ईएसआई देय राशि की वसूली और परिवारों को प्रभावित करने के लिए निगरानी तंत्र को और मजबूत करना और ईएसआई अधिनियम के उल्लंघन के परिणामों के प्रति नियोक्ताओं को संवेदनशील बनाना।**

यह उल्लेख किया जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ईएसआईएस अस्पताल, भोपाल को ईएसआई निगम को सौंपने के लिए अपनी सहमति दे दी है। महाराष्ट्र में नागपुर और औरंगाबाद में ईएसआईएस अस्पताल, मध्य प्रदेश में नागदा और राजस्थान में कोटा के लिए संबंधित राज्य सरकारों से प्रस्तावों की प्रतीक्षा है।

ईएसआईसी राज्य सरकारों की ईएसआई योजना के तहत चिकित्सा लाभ और चिकित्सा प्रतिष्ठानों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों द्वारा राज्य ईएसआई समितियों के गठन पर जोर देती है। 19 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने राज्य ईएसआई सोसाइटी के गठन के लिए सहमति दी है और तीन राज्यों में सोसाइटियां कार्यशील हैं। सोसाइटियों के पास बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए अनुबंध आधार पर दवाओं और उपकरणों की खरीद के लिए जनशक्ति को नियोजित करने की शक्तियां निहित हैं।"

26. समिति इस बात की सराहना करती है कि समिति की सिफारिशों के अनुसरण में मंत्रालय ने कर्मचारी राज्य बीमा बकायों के संबंध में स्पष्टता प्रदान करने के लिए 'वसूली योग्य बकायों/देय राशि' के स्थान पर 'तत्काल वसूली योग्य देय राशि' और 'गौर-वसूली योग्य देय राशि' के स्थान पर 'तत्काल वसूली न किए जा सकने योग्य देय राशि' का प्रयोग करने के अनुदेश जारी किए हैं। समिति चूककर्ता नियोक्ताओं से बकाया वसूलने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किए गए विभिन्न अतिरिक्त उपायों का भी संज्ञान लेती है। समिति को विश्वास है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अब किए गए अतिरिक्त उपाय उल्लंघनकर्ताओं के लिए निवारक के रूप में कार्य करेंगे और वसूली लक्ष्य की प्राप्ति की सुविधा प्रदान करेंगे।

27. समिति पाती है कि नागपुर, औरंगाबाद, नागदा और कोटा में ईएसआईएस अस्पतालों को ईएसआईसी को सौंपने के लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों के प्रस्ताव अभी भी प्रतीक्षारत है। समिति मंत्रालय/कर्मचारी राज्य बीमा निगम से और अधिक सक्रिय होने और संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से मामले की जांच करने का आग्रह करती है ताकि लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य संचालित ईएसआईएस अस्पतालों को समय पर ईएसआईसी द्वारा अपने नियंत्रण में लिया जा सके।

नई दिल्ली; **भर्तृहरि महताब**

19 दिसंबर, 2022 **सभापति**

28 अग्रहायण, 1944 (शक) **श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति**

परिशिष्ट -II

(प्राक्कथन का पैरा संख्या 3 देखिए)

श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति की तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

		कुल	प्रतिशत
I.	सिफारिशों की कुल संख्या	28	
II.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:- (सिफारिश पैरा सं. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 और 28)	24	85.72%
III.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती:- (सिफारिश पैरा सं..24)	01	3.57%
IV	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:- (सिफारिश पैरा सं. 3 और 4)	02	7.14%
V	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं- (सिफारिश पैरा सं. 15)	01	3.57%
			100%